(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं मे से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही करेंगे।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर भू.अ.नि. पुर तहसील व जिला भीलवाडा के हल्के बेरूनी स्थित है जिसके आराजी नं0 7118/3 में आने जाने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 10 एवं 11/1 से लगायत 11/8, 12, 13 की मौजा पुर के आ.नं. 7118 व 7118/1 है। जिसका रकबा आ0नं0 7118 रकबा लम्बाई 247.5 फीट चौडाई 16.5 फीट अर्थात 0.0379 हैक्टेयर तथा आराजी नम्बर 7118/1 रकबा लम्बाई 82.5 फीट चौडाई 16.5 फीट अर्थात 0.0126 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु स्वीकृत की जाती है।

उक्त भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से आराजी संख्या 7118 रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमि की राशि डीएलसी दर का दोगुना करने पर 183595–00 रूपये आराजी संख्या 7118/1 रकबा 0.0126 हैक्टेयर भूमि की राशि डीएलसी दर का दोगुना करने पर 30519–00 रूपये बनती है जो कि आराजी संख्या 7118 अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10, मृतक अप्रार्थी संख्या 11 के विधिक वारिसान 11/1 से लगायत 11/8 एवं 12, 13 एवं आराजी संख्या 7118/1 अप्रार्थी संख्या 11 मृतक के विधिक वारिसान 11/1 से लगायत 11/8 को देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षीगण उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 14..05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर
भीलवाडा